न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 152/2022

1 नत्थुराम पुत्र मामराज।
2 भागोती देवी पत्नी मामराज।
3 मनेष पुत्री मामराज।
4 रविन्द्र पुत्र मामराज।
5 रामसिंह पुत्र मामराज समस्त जाति गुर्जर निवासीगण केशरीपुरा तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 नरेश पुत्र इन्द्राज जाति गुर्जर निवासी केसरीपुरा तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनू।
2 तहसीलदार तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट आदेश
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी नरेश
बनाम नत्थुराम वगैरह मुकदमा नम्बर 211/2022
दिनांक 22.09.2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री शिवनारायण सिंह , अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रविराज सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

--निर्णय--

दिनांकः--28-2-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 211/2022 में पारित निर्णय दिनांक 22.09.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने अप्रार्थी अपीलांट के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर साथ में भूमि खसरा नम्बर 110 व 112 वाके ग्राम केसरीपुरा के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 112 अपीलांट की खातेदारी की भूमि है। अपीलांट इसमें मकान बनाकर आबाद है। खसरा नम्बर 112 में अपीलांट शौचालय का निर्माण कर रहा है। आवेदनकर्ता रेस्पोडेन्ट का खसरा नम्बर 112 में कोई हक अधिकार नहीं है। खसरा नम्बर 110 रेस्पोडेन्ट का है। खसरा नं. 110 व 112 के मध्य पुरानी पुख्ता सींव बनी हुई है। विचारण न्यायालय ने बिना किसी विवेचन के अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार कर विधिक त्रुटि की है। विधि अनुसार रिकार्डेड खातेदार को पाबंद नहीं किया जा सकता है। विधि अनुसार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

आवेदनकर्ता खसरा नम्बर 112 का रिकार्डेड खातेदार नहीं होने से खसरा नम्बर 112 के संदर्भ में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाने का अधिकारी भी नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2013(1) पेज 123, आरआरटी 2015(1) पेज 633 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि पक्षकारो के मध्य खसरा नम्बर 110 व 112 की सीमा को लेकर विवाद है। इस हेतु तहसीलदार के समक्ष सीमाज्ञान हेतु आवेदन भी प्रस्तुत कर रखा है। अपीलांट सीमाज्ञान हेतु तैयार नहीं है। अपीलांट सीमाज्ञान से पूर्व निर्माण पर अमादा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने सीमाज्ञान होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 112 अपीलांट की खातेदारी की भूमि है। अपीलांट इसमें मकान बनाकर आबाद है। खसरा नम्बर 112 में अपीलांट शौचालय का निर्माण कर रहा है। आवेदनकर्ता रेस्पोडेन्ट का खसरा नम्बर 112 में कोई हक अधिकार नहीं है। खसरा नम्बर 110 रेस्पोडेन्ट का है। खसरा नं. 110 व 112 के मध्य पुरानी पुख्ता सींव बनी हुई है। विचारण न्यायालय ने बिना किसी विवेचन के अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार कर विधिक त्रुटि की है। विधि अनुसार रिकार्डेड खातेदार को पाबंद नहीं किया जा सकता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि पक्षकारों के मध्य सीमाज्ञान के संदर्भ में राजस्व एजेंसी विधि अनुसार सीमाज्ञान हेतु स्वतंत्र है। इसकी आड़ में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग से प्रतिबंधित किया जाना विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं विचारण न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28-2-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर